न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान ...... अमीनुद्दीन ...... बनाम ...... साबिर मोहम्मद ......

किस्म मुकदमा ...... धारा - 225 ...... अपील संख्या ...... 2025/1 ......

अभिभाषक अपीलान्ट ...... श्री अब्दुल अजीज ...... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ...... श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.5.25	पत्रावली पेश हुई। अभि. अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित। अभि. रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र - अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रारम्भिक आपत्ति निर्धारित कर इसी स्तर पर अपील खारिज करने बाबत पर अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 26.5.25 को पेश हो। (दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
26.5.25	पत्रावली वास्ते अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील मेन्टेनेवल नहीं होने बाबत् पर आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2001 पेज 550 प्रस्तुत कर अपील मेन्टेनेवल नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने जवाब बहस प्रार्थना पत्र में अपने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को होने के कारण अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अपील पर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ल0 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी कम 1 ल0 10 एवं अपीलांट प्रतिवादी कम 11 (अमीनुद्दीन) के विरूद्ध विवादित आराजियात के संदर्भ में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी कम 11 (अमीनुद्दीन) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 08.01.2024 के अवलोकन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 आदेश 23 नियम 1 सीपीसी की परिभाषा में आता है। आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के अनुसार "वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा"। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा दिनांक 02.01.2024 को धारा 212	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ....अमीनुद्दीन........ बनाम ....साबिर मोहम्मद........

किस्म मुकदमा ....धारा-225........ अकील संख्या ....2025/1........

अभिभाषक अपीलान्ट ....श्री अब्दुल अजीज........ अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को वापस लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर यह आदेश पारित किया है कि भविष्य में same cause of action हेतु कोई प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत् पेश नहीं करेंगे। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज (withdraw) करने का आदेश पारित किया गया है, जो आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के अनुसार विधिसम्मत है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 अपीलीय आदेश की श्रेणी में नही आने के कारण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अपील मेन्टेनेवल नहीं होने बाबत् स्वीकार किया जाता है। अपील मेन्टेनेवल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राजस्थान

अपील संख्या   / 2024

1. अमीनुद्दीन आत्मज काजी नजीरउद्दीन, जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान

–अपीलान्ट–

बनाम

1. साबिर मोहम्मद आत्मज काजी नजीरउद्दीन, जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
2. रफीकउद्दीन आत्मज काजी नजीरउद्दीन, जाति–मुसलमान मृतक जरिये कायम मुकामान

   2/1– इमशाद बी पत्नी रफीकउददीन जाति–मुसलमान

   2/2– अजहरउद्दीन पुत्र रफीकउददीन जाति–मुसलमान

   2/3– शीरिन बी पुत्री रफीकउददीन जाति–मुसलमान

   समस्त निवासीगण–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राज.
3. नुरउद्दीन आत्मज काजी नजीरउद्दीन, जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
4. खलीलउद्दीन आत्मज काजी नजीरउद्दीन, जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
5. मोहम्मद याकूब आत्मज गुलाम रसूल जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
6. नफीस मोहम्मद खॉ आत्मज रफीक मोहम्मद खान जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
7. रईस मोहम्मद आत्मज रफीक मोहम्मद खान जाति–मुसलमान
   निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान

8. सायरा बानो पुत्री सगीर मोहम्मद जाति–मुसलमान
निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
9. पुष्पा सोनी पत्नी किशोर सोनी जाति सोनी निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
10. पवन कुमार आत्मज भैरूलाल महाजन निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
11. गीतादेवी शर्मा पत्नी बृजमोहन शर्मा जाति–बाह्मण
निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
12. राजेन्द्रकुमार आत्मज बसन्तीलाल जाति महाजन निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
13. पंकजकुमार जैन आत्मज मोहनलाल जैन जाति जैन निवासी–ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड, राजस्थान
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डग जिला झालावाड
15. रफीक मोहम्मद पुत्र रजाक मोहम्मद निवासी डग, जिला - झालावाड –रेस्पोन्डेन्टस्–

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी निर्णय दिनांक 08–01–2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार, जिला झालावाड, प्रा0 पत्र संख्या 06/2021 उनवानी साबिर मोहम्मद बगै0 बनाम मोहम्मद याकूब बगैहरा।</u>

मान्यवर,

अपील प्रस्तुत कर निम्न लिखित निवेदन है कि :–

1. यह कि ग्राम डग तहसील डग जिला झालावाड मे स्थित आराजी खाता संख्या नई 1159 पुरानी 1044 के खसरा नम्बर 1383 रकबा 2.4787 हैक्टेयर, आराजी खाता संख्या नई 591 पुरानी 540 के खसरा नम्बर 1368/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी खाता संख्या नई 1199 पुरानी 1082 के खसरा नम्बर 1368/2 रकबा 0.0885